उत्तर प्रदेश चैरिटेबिल इन्डाउमेन्ट्स (अधिकारों के विस्तार का) एक्ट 1950[1] ई0

[उत्तर प्रदेश एक्ट संख्या 20, 1950 ई0]

[उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने दिनांक 11 फरवरी, 1950 ई0 तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 29 मार्च, 1950 ई0 की बैठक में स्वीकृत किया।

[भारत का संविधान' के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्टपति ने दिनांक 31 मई, 1950 ई0 को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी गजट में दिनांक 1 जुलाई,, 1950ई0 को प्रकाशित हुआ।]

कुछ प्रयोजनों के निमित्त उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में चैरिटेबिल इन्डाउमेन्ट्स एक्ट, 1890 ई0 के निर्देशों को विस्तृत करने के लिए

एक एक्ट

प्रस्तावना

क्योंकि यह उचित और आवश्यक है कि शिक्षा सम्बन्धी प्रयोजनों के लिए चैरिटेबिल (पुण्यार्थ) इन्डाउमेन्ट्स की योजनाओं को बनाने के लिए राज्य की सरकार को पहले से अधिक अधिकार दिए जायें;

इसलिए नीचे लिखा कानून बनाया जाता है :

संक्षिप्त नाम और प्रारूप

1–(1) इस एक्ट का नाम उत्तर प्रदेश चैरिटेबिल इण्डोमेन्टस (अधिकारों के विस्तार का) एक्ट, 1950 ई0 होगा।

(2) यह समस्त उत्तर प्रदेश में लागू होगा।

(3) यह तुरन्त लागू होगा।

प्रबन्धकर्ताओं को नोटिस

2–(1) यदि किसी आवेदन पर या अन्य प्रकार से राज्य की सरकार को यह प्रतीत हो कि शिक्षा की उन्नति सम्बन्धी ट्रस्ट की किसी सम्पत्ति का अपव्यय हो रहा है या उसका प्रबन्ध ठीक नहीं है तो वह उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों को, जो उसका प्रबन्ध करते हों, नोटिस देकर इस बात के लिए बाधित करेगी कि ऐसे समय के भीतर, जो निर्दिष्ट किया जाय, कारण बताए कि वह सम्पति ट्रेजरार ऑफ चैरिटेबिल इन्डाउमेन्ट्स के स्वत्वाधिकार में क्यों न कर दी जाय और उसके प्रबन्ध की योजना क्यों न बनाई जाय।

(2) उपधारा (1) के अधीन नोटिस ऐसी रीति से तामील की जाएगी जो निर्दिष्ट की जाय।

सम्पत्ति का अपव्यय प्रमाणित होने पर प्रख्यापन

3–यदि ऐसा व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति जिसे या जिन पर धारा 2 के अधीन नोटिस तामील की गई हो, निश्चित समय के भीतर कारण न बतलाएं अथवा उनके उत्तर पर विचार करने और एसी जांच के बाद जो उसे उचित प्रतीत हो, राज्य की सरकार इस निर्णय पर पहुंचे कि सम्पत्ति का अपव्यय हो रहा है या उसका प्रबन्ध ठीक नहीं हो रहा है, तो वह इस बात का प्रख्यापन कर सकेगी।

उक्त प्रख्यापन के पश्चात कार्यवाही एक्ट सं0 3, 1890 ई0

4–धारा 3 में कहे हुए प्रख्यापन के बाद राज्य की सरकार के लिए यह वैध होगा कि चैरिटेबिल इण्डाउमेन्ट्स एक्ट, 1890 के अधीन ऐसी सम्पत्ति के विरूद्ध कार्यवाही करें और उक्त एक्ट के निर्देश इस प्रकार सप्रभाव होंगे, मानों–

---

1. उद्देश्यों और कारणों के विवरण के लिए दिनांक 28 जनवरी, 1950 ई0 का सरकारी गजट देखिए।

(क) उक्त एक्ट की धारा 4 की उपधारा (1) में शब्द "on application made as hereinafter mentioned, and", और शब्द "as may be agreed on between the appropriate Government and the person or persons making the application" निकाल दिए गए थे;

(ख) उक्त एक्ट की धारा 5 की उपधारा (1) और (2) में से शब्द "on application made as hereinafter mentioned, and with the concurrence of the person on persons making the application", और उसके बाद का कामा निकाल दिए गए थे, और

(ग) उक्त एक्ट की धारा 6 के स्थान में निम्नलिखित रख दिया गया थाः

"6. No scheme shall be settled, modified or substituted under the provisions of the foregoing sections, except after a draft thereof has been published in such manner as the appropriate Government may direct for the information of persons or interests likely to be affected thereby."